File No.71-2099/1170/2020-2-
74/2021/I/80660/2021

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
एस0जी0पी0जी0आई0,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 19 जुलाई, 2021

विषयः-एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, लखनऊ में निर्माणाधीन इमरजेंसी मेडिसिन एवं क्लीनिकल एवं वार्ड एरिया, सर्जिकल रोबोट, लीवर ट्रांसप्लांट यूनिट में मेडिकल एवं अन्य उपकरण तथा किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर के उच्चीकरण से संबंधित प्रायोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-पी0जी0आई0/सिविल/अभि0/एन0बी0-90/2015/05/2020, दिनांक 06.01.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा संस्थान परिसर में निर्माणाधीन इमरजेंसी मेडिसिन एवं क्लीनिकल एवं वार्ड एरिया, सर्जिकल रोबोट, लीवर ट्रांसप्लांट यूनिट में मेडिकल एवं अन्य उपकरण तथा किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर के उच्चीकरण से संबंधित प्रायोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- शासनादेश संख्या-29/2018/628/71-2-2018-पी-35/2015, दिनांक 28.02.2018 द्वारा प्रश्नगत प्रायोजना के निर्माण कार्य हेतु रू0 5,70,32,00,000/- (रूपये पांच अरब सत्तर करोड़ बत्तीस लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन निर्गत की गयी है कि प्रायोजना की अनुमोदित लागत रू0 570.32 करोड़ के सापेक्ष रू0 473.00 करोड़ का सावधिक ऋण संस्थान द्वारा भारतीय स्टेट बैंक से लिया जायेगा एवं प्रायोजना की अवशेष धनराशि इक्विटी के रूप में राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निदेशक संस्थान के पत्र दिनांक 06.01.2021 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में संस्थान परिसर में निर्माणाधीन इमरजेंसी मेडिसिन एवं क्लीनिकल एवं वार्ड एरिया, सर्जिकल रोबोट, लीवर ट्रांसप्लांट यूनिट में मेडिकल एवं अन्य उपकरण तथा किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर के उच्चीकरण से संबंधित प्रायोजना की पुनरीक्षित लागत रू0 57,848.13 लाख (रूपये पांच अरब अठहत्तर करोड़ अड़तालीस लाख तेरह हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:-

1) प्रायोजना की अनुमोदित पुनरीक्षित लागत रू0 578.4813 करोड के सापेक्ष रू0 473.00 करोड का सावधिक ऋण संस्थान द्वारा भारतीय स्टेट बैंक से लिया जायेगा। प्रायोजना की अवशेष धनराशि इक्विटी के रूप में राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी। ऋण के सम्बन्ध में दी गयी समस्त शर्तो/प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।

2) प्रायोजनान्तर्गत 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। निदेशक, संस्थान/कार्यदायी संस्था द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलत न हो।

3) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार स्थायी विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाय। संस्थान/निर्माण एजेंसी द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य कराया जाय।

4) प्रायोजना प्रस्ताव में कतिपय कार्यमदों यथा-ट्रान्सफार्मर, डी0जी0 सेट, वाह्य विद्युतीकरण, ई0पी0बी0एक्स सिस्टम, आई0बी0बी0एम0एस0एस0, यू0पी0एस0,लिफ्ट, माड्यूलर ओ0टी0, सेन्ट्रल ए0सी0, पी0ए0 सिस्टम, एड्रेस एलार्म सिस्टम, बूम बैरियर सिस्टम, इर्म्पोटेड माड्यूलर एण्ड प्री-फैब्रीकेटेड आथरेशन थियेटर, 2 के0वी0 यू0पी0एस0, 3 मी0 लांग आरनामेन्टल पोल, 7 मी0 टेपर्ड आक्टागोनल पोल, एल0टी0 पैनल, एच0टी0 पैनल, मैटल फाल्स सीलिंग, एन्टी स्किड, एन्टी बैक्टीरियल एण्ड एन्टी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

फंगल विनायल फ्लोरिंग, स्ट्रक्चरल ग्लास डोर, जी0आर0सी0 जाली, सी0सी0टी0वी0, मेडिकल गैस पाइप लाइन, कम्प्यूटर नेटवर्किंग का प्राविधान किया गया है, के क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करें। चूंकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य है एवं इनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते है तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसीफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अत: निदेशक, संस्थान निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाय।

5) प्रायोजना का आगणन कुर्सी क्षेत्रफल दरों पर गठित किया गया है। अत: प्रायोजना का जनपद के शिड्यूल आफ रेट्स पर विस्तृत आगणन गठित कर उस पर सक्षम स्तर के अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय तथा उस विस्तृत आगणन, व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त किये जाने के पश्चात ही प्रायोजना के निर्माण हेतु द्वितीय किश्त निर्गत की जायेगी।

6) प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे- नये कार्य बढाना, कार्यो के आकार/क्षेत्रफल में व़द्वि एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नही किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अनुमोदित कार्यो की तकनीकी स्वीक़ृति निर्गत करने के पूर्व विस्तत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक व़द्वि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर तीन माह के अन्दर प्रभाग का पुन: अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नही किया जायेगा।

7) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व संस्थान द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

8) प्रायोजना में प्रस्तावित उपकरण/संयंत्र के क्रय में सुसंगत वित्तीय नियमों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स) 2016 के प्राविधानों तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा निर्गत ई-टेण्डर/ई-प्रोक्योरमेन्ट/गवमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल से संबंधित शासनादेशों का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9) प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी संस्थान के निदेशक की होगी।

10) पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में कराये गये कार्यो की लागत को लागत प्रायोजना की अनुमोदित लागत में यथावत सम्मिलित करते हुए लागत को अनुमोदित किया गया है, जिसका समस्त उत्तरदायित्व निदेशक, संस्थान/कार्यदायी संस्था का होगा।

11) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं को यथावत मानते हुए लागत का अनुमोदन किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/सस्थान को होगा।

12) प्रायोजना की लागत का अनुमोदन आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढाना, प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा। निदेशक, संस्थान द्वारा इस आशय का उल्लेख संबंधित स्वीकृति आदेश में सम्मिलित किया जायेगा।

13) स्वीकृत की जा रही वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसकी कार्य/मद हेतु किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।

14) आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा। प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

15) प्रायोजना का निर्माण कार्य यथाशीघ्र पुनरीक्षित लागत की सीमा में पूर्ण कर लिये जायेंगे।

16) ऋण वापसी के संबंध में निदेशक संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि बैंक द्वारा निर्धारित त्रैमासिक भुगतान शिड्यूल का अनुपालन करते हुए संस्थान के अन्य वित्तीय प्रतिबद्धताओं में किसी प्रकार की चूक न हो।

17) शासी निकाय के निर्णयानुसार संस्थान द्वारा उक्त ऋण से सृजित परिसम्पत्तियों के माध्यम से अतिरिक्त आय अर्जित करने के समस्त प्रयास किये जायेंगे। संस्थान द्वारा ऋण की अदायगी निर्धारित री-पेमेन्ट शेड्यूल के अनुसार नियमित रूप से की जायेगी।

18) संस्थान द्वारा वर्षानुवर्ष अवशेष गारंटी की राशि पर 01 प्रतिशत वार्षिक की दर से गारंटी शुल्क का भुगतान राज्य सरकार को किया जायेगा। संस्थान द्वारा राज्य सरकार के पक्ष में काउन्टर गारंटी निष्पादित की जायेगी।

19) संस्थान के पत्र संख्या-10011/पी.जी.आई/निदे./कैम्प्/2016, दिनांक 25-7-2016 में उल्लिखित शर्तो/प्रक्रिया का भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

20) प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/संस्थान के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

21) पुनरीक्षण के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22, मार्च 2021 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों के प्रतिबन्धों/दिशा-निर्देशों के अनुपालन का दायित्व संस्थान के वित्त नियंत्रक का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

22) व्यय वित्त समिति द्वारा लगाई गई शर्तो/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-302/दस-2021-2022 दिनांक 05 जुलाई, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपर्युक्तानुसार:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2) मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
3) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।
4) वित्त अधिकारी, संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
5) महाप्रबन्धक/परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमि0, लखनऊ।
6) वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/
7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।